अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2026

का.आ. 906(अ).— चूँकि केन्द्र सरकार निम्नलिखित पदार्थों (प्राकृतिक या कृत्रिम) या प्राकृतिक सामग्री या किसी लवण या ऐसे पदार्थों या सामग्रियों के निर्माण के दुरुपयोग की प्रकृति और प्रभाव या दुरुपयोग के दायरे के संबंध में, और ऐसे पदार्थों के संबंध में संशोधन और ऐसे परिवर्तन जो संयुक्त राष्ट्र मन:प्रभावी पदार्थ सम्मेलन, 1971 में शामिल किए गए हैं, के आधार पर उपलब्ध जानकारी और साक्ष्य से संतुष्ट है, और वह निम्नलिखित पदार्थों या प्राकृतिक सामग्रियों या लवण या ऐसे पदार्थों या सामग्रियों के निर्माण को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ना अनिवार्य मानती है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस प्रकार उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 110 जेड जेड आई के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ क्रमशः सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	अंतरराष्ट्रीय गैर-स्वामित्व वाले नाम	अन्य गैर-स्वामित्व वाले नाम	रासायनिक नाम
"110 जेड जेड जे		हेक्साहाइड्रोकैनाबिनोल (एच.एच.सी.)	6,6,9-ट्राइमिथाइल-3-पेंटाइल-6ए,7,8,9,10,10ए-हेक्साहाइड्रोबेंज़ो[सी]क्रोमेन-1-ओल
110 जेड जेड के		कैरीसोप्रोडल	2-[(कार्बामायलॉक्सी)मिथाइल]-2-मिथाइलपेंटाइल(1-इथाइलएथिल)कार्बामेट"

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एन-12019/1/2025-एनसी-II-डीओआर]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

नोटः स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची को पहली बार दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के संख्या का.आ.785(अ) द्वारा संशोधित किया गया था और बाद में संख्या का.आ.49(अ) दिनांक 8 जनवरी, 1993, संख्या का.आ.39(अ) दिनांक 12 जनवरी, 1996, संख्या का.आ.475(अ) दिनांक 11 जून, 2003, संख्या सा.का.नि. 621(अ) दिनांक 1 अगस्त, 2003, संख्या सा.का.नि. 1(अ) दिनांक 2 जनवरी, 2004, संख्या का.आ.311(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2011, संख्या का.आ.376(अ) दिनांक 5 फरवरी, 2015, संख्या का.आ.2374(अ) दिनांक 12 जुलाई, 2016, संख्या का.आ.1383(अ) दिनांक 2 मई, 2017, संख्या का.आ.821(अ) दिनांक 27 फरवरी, 2018, संख्या का.आ.1761(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2018 और संख्या का.आ.3448(अ) दिनांक 13 जुलाई, 2018, संख्या का.आ.1352(अ)

दिनांक 13 मार्च 2019, संख्या का.आ.1275(अ) दिनांक 23 मार्च 2021, संख्या का.आ.4428(अ) दिनांक 22 सितंबर 2022, संख्या का.आ.5319(अ) दिनांक 16 नवंबर, 2022, संख्या का.आ.578(अ) दिनांक 8 फरवरी, 2024 और संख्या का.आ.1730(अ) दिनांक 16 अप्रैल, 2025 द्वारा संशोधित किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2026

S.O. 906(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it, with respect to the nature and effects of, or the scope of abuse of the following substances (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substances or materials, and the modification with respect to such substances and the changes that have been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances, 1971, and that it is necessary to add the following substances or natural materials or salts or preparation of such substances or materials in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the said Act, namely: -

In the said Act, in the Schedule, after serial number 110ZZI and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall, respectively be inserted, namely: -

Sl. No.	International non-Proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical Name
"110ZZJ		Hexahydrocannabinol (HHC)	6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo[c]chromen-1-ol
110ZZK		Carisoprodol	2-[(carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl(1-ethylethyl)carbamate"

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No N-12019/1/2025-NC-II-DOR]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

Note: The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was first amended, vide number S.O. 785(E), dated the 26th October, 1992 and subsequently amended, vide numbers S.O. 49(E), dated the 8th January, 1993, S.O. 39(E), dated the 12th January, 1996, S.O. 475(E), dated the 11th June, 2003, G.S.R. 621(E), dated the 1st August, 2003, G.S.R. 1(E), dated the 2nd January, 2004, S.O. 311 (E), dated the 10th February, 2011, S.O. 376(E), dated the 5th February, 2015, S.O. No. 2374 (E), dated the 12th July, 2016, S.O. No. 1383 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 821(E), dated the 27th February, 2018, S.O. 1761(E), dated the 26th April, 2018 and S.O. 3448(E) dated the 13th July, 2018, S.O. 1352(E), dated the 13th March 2019, S.O. 1275(E), dated the 23rd March 2021, S.O. 4428(E), dated the 22nd September 2022, S.O. 5319 (E), dated the 16th November, 2022, S.O. 578(E), dated the 8th February, 2024 and S.O. 1730(E) dated 16th April, 2025.